न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/12/2025	2025/48	21.03.2025	08.07.2025

1. बब्लू पुत्र स्व. नन्नूराम,
2. पप्पू पुत्र स्व0 नन्नूराम,
   जातियान हरिजन भंगी, निवासीयान ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जोरमल पुत्र श्री किशना जाति हरिजन भंगी,
2. टुच्ची उर्फ छुटटी पुत्र श्री किशना – मृतक
3. काला पुत्र श्री किशना जाति हरिजन भंगी – मृतक
   3/1–खिल्ली पुत्र स्व0 काला
   3/2–हरी पुत्र स्व0 काला
4. मुकरन्दी पुत्र काला जाति हरिजन भंगी– मृतक
   4/1–कुन्नी उर्फ झुन्नी पुत्र स्व0 मुकरन्दी
   4/2–सुन्दर पुत्र स्व0 मुकरन्दी
   4/3–महेन्द्र पुत्र स्व0 मुकरन्दी
   निवासीयान ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज।
5. किसनू पुत्र वग्घू निवासी बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
6. मुकेश खींची पुत्र रमेश निवासी वार्ड नं. 1 सौंखर रोड खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
7. संजय खींची पुत्र रमेश निवासी वार्ड नं. 1 सौंखर रोड खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—— असल अप्रार्थीगण

8. सुरेश कुमार पुत्र मवासीराम पति लक्ष्मी दामाद स्व. नन्नूराम जाति हरिजन भंगी निवासी भटिण्डा–पंजाब।
9. फूलवती पुत्र स्व0 नन्नूराम जाति हरिजन भंगी निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर।

— तरंतीवी अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::–

उपस्थितः–
01–श्री विशम्बर दयाल गुप्ता —वकील प्रार्थीगण
02–श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण सं. 6 व 7

–:निर्णयः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) रामगढ़, अलवर के प्रकरण बउनवान नन्नूराम मृतक जर्ये वारिसान शांति देवी, बब्लू, पप्पू वगैरह बनाम जोरमल वगैरह को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के पिता नन्नूराम पुत्र

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

नत्थी के द्वारा बअनुवानी नन्नूराम बनाम जोरमल वगैहरा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुकमइम्तनाई दवामी के तहत सक्षम अदालत उप जिलाधीश रामगढ जिला अलवर के समक्ष सन 2003 में इस आशय का पेश किया गया कि "आराजी गत खसरा नम्बर 435 रकबा 2 बीधा 7 विस्वा, 439 रकबा 4 बीधा 3 विस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1269 रकबा 0.01 व 1270 रकबा 1.62 हैक्टेयर कायम किया गया है वाके ग्राम बगड राजपुत तहसील रामगढ जिला अलवर मे स्थित है जो आराजी वाद मे विवादित आराजी से सम्बोधित की गई। विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 के पिता किशना की खातेदारी की आराजी थी जिस आराज मुनताजा पर हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के दादा नत्थी का 25–30 साल से लगातार कब्जा असल अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 वो उनके पिता किशना की जानकारी मे बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा था एवं इस प्रकार हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के दादा नत्थी का कब्जा विवादित आराजी पर लगातार जायद अज 12 साल से असल अप्रार्थी संख्या 1 ला. 3 वो उनके पिता की जानकारी मे होने के कारण कानूनन हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के दादा का कब्जा बतौर मुखालफाना कब्जा होगया एवं वह विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के पिता नत्थी ने अपने जीवनकाल में असल अप्रार्थीगण के खिलाफ एक दावा न्यायालय सहायक कलैक्टर अलवर के न्यायालय मे दिनांक 26/8/86 को दायर किया था क जिस वाद मे स्वंय असल अप्रार्थी संख्या 1 ला.3 ने हाजिर होकर अपना इकबाल दावा पेश किया व विवादित आराजी पर हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के दादा का कब्जा अर्से दराज से होना माना गया जो इकबाल दावा दिनांक 28/1/87 को पेश किया था। इस प्रकार प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के दादा नत्थी विवादित आराजी पर बेरोक टोक लगातार काबिज काश्तकार रहे व कब्जा मुखालफाना कब्जा होने के कारण कानूनन विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हुए।

इसी आराजी मुतनाजा की बाबत असल अप्रार्थीगण द्वारा एक दावा बाबत हुकमइम्तनाई दवामी दायर कया गया था जो वाद उनका कब्जा आराजी नही होने के कारण दिनांक 19/2/87 को खारिज हो गया। फिर भी असल अप्रार्थी सख्या 1 ला. 5 विवादित आराजी मे कार्य काश्त में बाधा डालते। चूँकि हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के दादा नत्थी का देहान्त हो गया था जिस कारण से हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के पिता नन्नूराम ने अपने जीवनकाल में तहत अदालत उप जिलाधीश रामगढ के समक्ष एक राजस्व वाद धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि. के तहत बअनुवानी नन्नूराम बनाम जोरमल वगैहरा दायर किया गया। जिस वाद के नम्बर 1/33 है। दौराने दावा कथित नुमायशी दस्तावेज की आड में असल अप्रार्थी सख्या 5, 6 द्वारा विवादित आराजी के उपयोग उपभोग करने में बाधा डाली जाने लगी जिसकारण से असल अप्रार्थी सख्या 5 व 6 को भी पक्षकार मुकदमा बनाया गया। उक्त वाद अदालत सहायक कलेक्टर अलवर के समक्ष अंतरित हो गया। हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के पिता नन्नूराम व माता शांति देवी एक बहन लक्ष्मी का देहान्त हो चुका है। मृतक नन्नूराम, शांति देवी के हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण वारिस है। मृतक लक्ष्मी के वारिस पति तरतीवी अप्रार्थी संख्या 8 है।

तहत अदालत सहायक कलेक्टर रामगढ जिला अलवर के यहाँ उक्त वाद विचारण रहा जिसमे पेशीयां लगती रहीं। जिसमे आगामी पेशी 25/4/2025 की वास्ते साक्ष्य वादी नियत फरमाई गई थी। जिस पेशी को नजदीक कराने हेतु असल अप्रार्थी संख्या 6 मुकेश खीची द्वारा दिनांक 27/2/2025 को तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थनापत्र पेश कर तहत अदालत से मिल्लत कर हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिए बगैर नजदीक की पेशी दिनांक 5/3/2025 की नियत फरमा दी गई। इसके बाद तहत अदालत द्वारा आगामी पेशी 11/3/2025 नियत फरमा दी गई। इसके बाद तहत अदालत

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सहायक कलैक्टर रामगढ जिला अलवर छुटटी पर चले गए जिनका कार्यभार अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर को सौपा गया। जिन तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा उक्त वाद में आगामी पेशी दिनांक 19/3/2025 नियत फरमा दी गई है। इस प्रकार उक्त वाद मे काफी छोटी–छोटी तारीख पेशीया लगाई जा रही है। जो न्यायोचित नही है।

असल अप्रार्थी संख्या 6 व 7 जोकि रमेश खींची वर्तमान विधायक विधानसभा कठूमर के पुत्रान है। जिस विधायक रमेश खींची का स्थानीय क्षेत्र में काफी प्रभाव है जिस प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी को अपने बेजा प्रभाव व दवाव मे ले रखा हैं। असल अप्रार्थी संख्या 6, 7 को तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में कई कई घण्टो बैठे व बात करते देखा है। असल अप्रार्थी संख्या 6, 7 ने भी गत पेशी दिनांक 11/3/2025 को हम प्रार्थीगण को खुलेआम कहा कि हम जल्द से जल्द वाद का निस्तारण अपने पक्ष में कराके रहेगे। इस बाबत हम प्रार्थीगण ने तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी से भी आगृह किया जिन्होने हम प्रार्थीगण की बात को अनसुना कर आगामी नियत पेशी 19/3/2025 को निस्तारित करने बाबत साफ तौर पर कह दिया। जो गैरकाननी है।

इस प्रकार तहत अदालत असल अप्रार्थीगण के बेजा प्रभाव में है ओर केस में अप्रार्थीगण के मनमुताबिक रिलीफ देने को आतूर है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक मकसद में सफल हो गए तो उस सूरत में हम प्रार्थीगण, तरतीवी अप्रार्थीगण को अपार नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व हकूक जायल होगे, मौके पर तनाव के हालात पैदा होंगे। अप्रार्थीगण लठ–बल वाले व राजनैतिक पहुँच रखने वाले व पैसे वाले लोग है। तहत अदालत अप्रार्थीगण के बेजा दबाव व प्रभाव में हैं। जिस वजह से हम प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण को न्याय की कोई उम्मीद नही है। जिस हेतु प्रार्थी हकूक की सुरक्षार्थ न्यायहितार्थ तहत अदालत के समक्ष लम्बित मुकदमा राजस्व वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुकमइम्तनाई दवामी की पत्रावली किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल करवाना चाहता है। इसलिए यह प्रार्थनापत्र नेकनियती व सदभावनापूर्वक पेश है।

हम प्रार्थीगण द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के समक्ष लम्बित उक्त अनुवानी राजस्व वाद को ट्रांसफर कराने हेतु यह मौजूदा प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र अद्दालत श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैकि उपरोक्त तथ्यो पर गौरकिया जाकर न्यायहित में तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के समक्ष लम्बित मुकदमा नम्बर 1/33 उक्त मूल राजस्व वाद बअनुवानी नन्नूराम मृतक जर्ये वारिसान शांति देवी, बब्लू, पप्पू वगैहरा बनाम जोरमल वगैहरा राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुकमइम्तनाई दवामी की पत्रावली को किसी दीगर अदालत मे मुन्तकिल (ट्रान्सफर) किए जाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण सं0 6 व 7 ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में दायर करने के लिए कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नही होते हैं। प्रार्थीगण ने दुर्भावनापूर्वक हम असल अप्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की मंशा से मिथ्या व बेबुनियाद प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया हैं। प्रार्थीगण ने मिथ्या मुकदमेंबाजी करके हम असल अप्रार्थीगण को बेजा नुकसान पंहुचाया हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000/– रूपयें सहित खारिज किये जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें।

तहत अदालत में प्रकरण सन 2003 से विचाराधीन हैं, जो काफी पुराना प्रकरण हैं। प्रार्थीगण ने किसी स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश नही किये हैं। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मुकदमा पेश करने का कोई आधार नही हैं, मौखिक कथन व कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश नही किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त दर्ज किये हैं, जो वादकारण पैदा करने व प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये हैं। हम असल अप्रार्थीगण की तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नही हैं, ना हम उनके बारे में कोई जानकारी रखते हैं, ना हमने पीठासीन अधिकारी से कभी कोई सम्पर्क उनके चैम्बर में जाकर किया हैं, ना तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी हम असल अप्रार्थीगण के बेजा प्रभाव में हैं, ना ही हम असल अप्रार्थीगण ने तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी को अपने बेजा प्रभाव व दबाव में ले रखा हैं, प्रार्थीगण ने हम असल अप्रार्थीगण व तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी पर झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण तहत अदालत से प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहते हैं, और मुकदमा को देरी करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया गया हैं। अन्यथा प्रार्थीगण को अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र मुंतकिली मुकदमा पेश करने के लिए हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थीगण ने मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नही किया गया हैं, मौखिक अभिवचन की कोई मान्यता नही हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा दुर्भावनापूर्वक पेश किया हैं। कोई नेकनियती नही हैं। मुकदमा मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नही हैं, मुकदमा को तहत अदालत से किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से पक्षकारान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काफी परेशानी होगी, एंव काफी समय लगेगा, तथा अनावश्यक खर्चा व समय लगेगा। जिससे सुलभ, सस्ता एंव त्वरित न्याय प्राप्त होने में विलम्ब होगा। मुकदमा दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से हम असल अप्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली हानि होगी। प्रार्थीगण मौजूदा सूरत में कोई अनुतोष पाने के नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी नही हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा मौजूदा सूरत में पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं, सव्यय खारिज फरमाया जावें। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थीगण हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000/– रूपये खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में सन 2020 आर बी जे पेज 246, सन 2020 आर बी जे पेज 526, 2020 आर बी जे पेज 529 कानूनी नजीरे पेश की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) रामगढ़, अलवर द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि चरण संख्या 1 में उल्लेखित वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। चरण संख्या 2 असत्य एवं तथ्यहीन है जो अस्वीकार है। उक्त वाद में तारीख पेशी 08.11.2024 से 24.01.2025 एवं 24.01.2025 से 25.04.25 नियत की गई थी, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा नजदीकी तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2025 पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.03.25 को निर्णीत कर तत्कालीन सहायक कलक्टर व वर्तमान उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने मूलवाद की तारीख पेशी दिनांक 26.03.2025 नियत की गई थी परन्तु उक्त पत्रावली को तारीख पेशी दिनांक 26.03.2025 को निस्तारित न करते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 23.04.205 नियत की गई थी एवं प्रकरण में वर्तमान में आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.06.2025 नियत की गई है। प्रकरण न्यायालय हाजा में सन् 2003 से लम्बित है इस प्रकार प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी दिये जाने का आरोप तथ्यहीन है। चरण संख्या 3 असत्य एवं तथ्यहीन है जो कि अस्वीकार है। प्रार्थी ने तारीख पेशी दिनांक 19.03.2025 को प्रकरण को निस्तारित करने का आरोप लगाया

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

है, जबकि पत्रावली आदिनांक को भी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। चरण संख्या 4 असत्य एवं तथ्यहीन है जो अस्वीकार है। चरण संख्या 5 श्रीमान की अदालत के श्रवण योग्य है व गौर श्रीमान है। चरण संख्या 6 कानूनी है व गौर श्रीमान है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु वेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत हैं फिर भी श्रीमान प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मृतक होने के संबंध में जानकारी कर नियमानुसार सी.पी.सी के तहत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) हाल उपखण्ड अधिकारी रामगढ़, अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान